सत्यमेव जयते

संख्या– / जी0एस0 / शिक्षा / A4-165(P-II) / 2019

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।

- 1 OCT 2020

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : अगस्त, 2020**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या–2007, दिनांक 07–11–2019 एवं पत्र संख्या–2017, दिनांक 14–11–2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2– यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष–दर–वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव व कुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वस्वीकृति / पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :–

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
रामानन्द इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एण्ड मैनेजमेंट, हरिद्वार–रूड़की रोड़, गोविन्द गार्डन, ज्वालापुर, हरिद्वार।	बी0टैक0 :– 1. Civil Engg.	60	2019–20
	2. Computer Science & Info. Technology	30	
	3. Electrical and Electronics Engg.	90	
	4. Electronics & Communication Engg. (Industry Integrated)	30	
	5. Mechanical Engg.	90	
	एम0बी0ए0	120	
	एम0बी0ए0(इन्टीग्रेटेड)	60	
	बी0फार्मा0	60	

(1) कार्यपरिषद, इस सचिवालय से निर्गत पत्र दिनांक 26–04–2019 के अनुसार सत्र 2018–19 व इससे पूर्व के सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता का निर्णय लेकर यथाशीघ्र आदेश निर्गत करे तथा विश्वविद्यालय, संस्थान में कार्यरत फैकल्टी का अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करे और निरीक्षण मण्डल व कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत कार्यपरिषद, नियामक संस्थाओं के मानकों के पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करें।

(2) निरीक्षण मण्डल द्वारा सत्र 2019–20 हेतु संस्थान के भौतिक निरीक्षण पर अपनी संस्तुति में दिये गये सुझावों की पूर्ति भी सुनिश्चित कराने के उपरान्त सत्र 2019–20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व कृत कार्रवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराये।

3– अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तद्नुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित की जाये।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।

संख्या– 1520 (1) / जी0एस0 / शिक्षा / A4-165(P-II) / 2019 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य / प्रबन्धक, सम्बन्धित संस्थान / कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल / कुलाधिपति।